

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016—आश्विन 8, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (44).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन प्रवेशकर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है:—

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	निर्बन्ध तथा शर्त जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की जाती है (3)
1.	इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-46-2016-1-पांच (41), दिनांक 28 सितम्बर 2016 से अधिसूचित माल.	1. जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल किसी स्थानीय क्षेत्र में ऑनलाईन शॉपिंग या ई-कॉमर्स के द्वारा क्रय कर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-46-2016-1-पांच(41), दिनांक 28 सितम्बर 2016 से अधिसूचित व्यक्ति द्वारा लाया या बुलाया गया हो. 2. उक्त माल के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा दिया गया ऑनलाईन/ई-कॉमर्स क्रय आदेश तथा विक्रेता द्वारा उक्त माल के लिए जारी किया गया विक्रय बीजक इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-46-2016-1-पांच (41), दिनांक 28 सितम्बर 2016 के प्रवृत्त होने के पूर्व का हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (44), दिनांक 30 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 30th September 2016

No. F-A-3-46-2016-1-Five (44).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts in whole the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of entry tax under the said Act, subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said schedule:—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)
1.	Goods notified by this department's notification No. F A-3-46-2016-1-V(41), dated 28th September 2016.	<p>1. When the goods specified in column (2) are brought or caused to be brought into a local area, purchased through online shopping or e-commerce, by a person notified by this department's notification No. F A-3-46-2016-1-V(41), dated 28th September 2016.</p> <p>2. Online/e-commerce purchase order for the said goods is placed by the said person and the sale invoice is issued by the seller of the said goods before the date on which this department's notification No. F A-3-46-2016-1-V(41), dated 28th September 2016 comes into force.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.